न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 12 / 2024

राज.सरकार प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र चरन सिंह, होटल एस.आर.जी. इन, सेवर भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

2–श्री अरुण कुमार चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 19.02.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.9.24 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ सेवर वाईपास पर स्थित होटल एस.आर.जी. इन पर पहुंचे। मौके पर होटल के बैक में घरेलू गैस सिलेण्डरों का रेग्यूलेटर नली व चूल्हे के माध्यम से होटल में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर के मौके पर भण्डारण के कोई वैध दस्तावेज पेश नही किये गये । अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं मौक पर होटल रसोई मे व्यवसायिक उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कहना कि घरेलू सामाजिक कार्य के लिये उपयोग में लिये थे गलत है मौके पर होटल के बैक में होटल व्यवसाय के कार्य में लिप्त पाये गये हैं। जब कि घरेलू

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

गैस सिलण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण 04 घरेलू गैस सिलण्डर एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि होटल में सामाजिक प्रोग्राम था उसी कार्य के लिये घरेलू गैस सिलण्डर लाये गये थे। घरेलू गैस सिलण्डर व्यवसायिक उपयोग के लिये नहीं थे। प्रवर्तन स्टाफ ने जो सिलण्डर जप्त किये है वे गलत किये हैं। गैस सिलण्डर के कागजात पेश किये हैं। गैस सिलण्डर वापिस दिलाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। होटल में मौके पर घरेलू गैस सिलण्डर का होटल कार्य के लिये व्यवसायिक कार्य में लिप्त पाया गया है। अप्रार्थी का यह कहना कि घरेलू सामाजिक कार्य के लिये उपयोग के लिये थे स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि मौके पर होटल के बैक में होटल व्यवसाय के कार्य में लिप्त पाये गये हैं। जब कि घरेलू गैस सिलण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलण्डरस का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 04 घरेलू गैस सिलण्डर राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 04 घरेलू गैस सिलण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 04 घरेलू गैस सिलण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर